

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0 निरस्त / / 2024, लखनऊ :: दिनांक 06 मार्च, 2024

--: संशोधित आदेश ::--

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 लखनऊ ने पत्र संख्या- 59/2024 दिनांक 05.03.2024 द्वारा दिनांक 11.03.2024 से 14.03.2024 तक गठित युगल पीठ में व्यक्तिगत कारणों से सहभागिता करने असमर्थता व्यक्त की है तथा लखनऊ में निर्धारित युगल पीठ कार्यक्रम दिनांक 11.03.2024 से 14.03.2024 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में सम्यक रूप से विचार करते हुए पूर्व निर्गत उक्त आदेश सं0 145/2024 दिनांक 31-01-2024 को आंशिक रूप में संशोधित करते हुए लखनऊ पीठ में दिनांक 11-03-2024 से 14-03-2024 तक गठित युगल पीठ तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-06.03.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0 निरस्त/260/2024 दिनांक ::यथोक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, लखनऊ पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ।
- 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
- 3- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से

निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।